13-2-19

अभिभाषकगण सुने। बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा मा. राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दि. 15-1-19 के उक्त तर्क किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मा. राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कब्जा ले लेने के भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया है अतः अपील में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है इसलिए अपील खारिज की जावे।

पत्रावली पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मा. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दि. 15-1-19 द्वारा विपक्षी काश्तकार की सजा को सही निरस्त कर शांति व बेदखली का आदेश यथावत रखा गया है। मा. मण्डल के आदेश की पालना में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) में दि. 19.2.19 को शपथपत्र पेश कर दिया है।

अतः अपील अपीलांट हेतु खारिज की जाती है। नहर अधिकारी को अवगत किया जावे। दि. मा. राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दि. 15-1-19 की पालना में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंकित तथ्यों का होने पर सत्यापन कराकर यदि अपीलांट विपक्षकार में कोई चूक करता है तो विपक्षी काश्तकार की सजा के आदेश यथावत रहेंगे। आदेश की प्रति नहर अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

(अशोक अली)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official